आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27/02/23	आदेश । प्रस्तागत अपील वाद अंचल अधिकारी, बगोदर के द्वारा नामांतरण वाद सं० - 838/2021-22 में पारित आदेश के विरुद्ध Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 के धारा - 15 के अंतर्गत दाखिल किया गया। अपीलकर्ता के अनुसार मौजा - बगोदर, थाना - बगोदर स्थित खाता - 240, प्लाट - 110, रकबा - 22.75 डी० की भूमि विक्रय पत्र सं० - 9177 दिनांक - 10.08.2005 विक्रेता प्रकाश मिस्त्री पिता स्व० रहलचन्द मिस्त्री से गिरधारी यादव पिता स्व० भागमन यादव, ग्राम - बगोदरडीह को प्राप्त हुआ। उक्त जमीन की खरीदगी के पश्चात गिरधारी यादव के द्वारा तत्कालीन अंचल अधिकारी, बगोदर के समक्ष दाखिल-खारिज हेतु आवेदन दाखिल किया गया जिसे अंचल अधिकारी द्वारा 28.03.2007 को अस्वीकृत कर दिया गया।	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आगे अपीलकर्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी, बगोदर के उक्त आदेश के विरुद्ध भूमि-सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर किया गया जिसे विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा दिनांक - 24.09.07 को अस्वीकृत कर दिया गया। पुनः उक्त आवेदक के द्वारा समाहर्ता, गिरिडीह के न्यायालय में पुनरीक्षण वाद सं० - 21/2007 दाखिल किया गया, जिसमें विद्वान समाहर्ता, गिरिडीह ने अंचल अधिकारी, बगोदर एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता के आदेश को यथावत रखा। उक्त वर्णित विक्रय पत्र के आधार पर गिरधारी यादव के वंशज द्वारा पुनः नामांतरण हेतु आवेदन 12/02/2022 को दाखिल किया गया, जिसमें उपरोक्त वर्णित तथ्यों को छुपाया गया। अंचल बगोदर द्वारा नामांतरण वाद सं० - 838/2021-2022 में नामांतरण की स्वीकृति दे दी गई, फलतः यह अपीलवाद लाया गया है। चूँकि उक्त विक्रय पत्र	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3 1	2	3

से सम्बन्धित नामांतरण
प्रक्रिया में वर्ष 2007 में
आदेश पारित किया जा
चुका है, अत: पुन: पारित
आदेश को निरस्त किया
जाये।

विपक्षी के द्वारा
लिखित अभिकथन दाखिल
किया गया तथा मौखिक
रूप से भी अपना पक्ष
रखा गया। विपक्षी के
अनुसार अपील कर्ता द्वारा
मेनटेनेन्स ऑफ रेकार्ड एक्ट
की धारा-15 के अंतर्गत
अपीलवाद दायर किया
गया है वह इस वाद में
लागू नहीं होता है क्योंकि
नामांतरण कर ऑनलाईन
रसीद काटा गया है। पूर्व
में नामांतरण अस्वीकृति
का कारण गिरधारी यादव
द्वारा निबंधित विक्रय कैंसिलनामा
सं०-1681, दिनांक-15.02.2006
को बनाया गया है, वह सही
नहीं है क्योंकि विक्रय पत्र
को कैंसिलनामा के आधार
पर रद्द नहीं किया जा
सकता है।

विपक्षी का आगे
कहना है कि दाखिल-
खारिज वाद सं०-2083/06-07
अंचल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत
किया गया तथा जिला दण्डाधिकारी

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
4 1	2	3
	द्वारा वाद सं० - 21/07 में पारित आदेश विपक्षी को बाध्यकारी नहीं है क्योंकि उक्त आदेश 15 वर्ष पुराना है। अतः यह अपील आवेदन अस्वीकृत करने योग्य है। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल लिखित अभिकथन एवं दस्तावेजों के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि (i) कि झारखण्ड में नामांतरण के निष्पादन हेतु 'The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 लागू है, अतः विपक्षी का यह तर्क पोषनीय नहीं है कि इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। (ii) कि वर्ष 2007 में भी उक्त अधिनियम लागू था तथा उसी के प्रावधानों के आलोक में 2007 में अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, एवं समाहर्ता द्वारा आदेश पारित किया गया था। (iii) कि 'The Bihar Tenants' Holdings (Mainteance	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5	of Records) Act, 1973 में पुनरीक्षण के पश्चात पुनः वाद को पुनर्जीवित करने का कोई प्रावधान नहीं है। (iv) कि विपक्षी की यह दलील कि कैंसिलनामा पत्र के आधार पर विक्रय पत्र रद्द नहीं हो जाता है, स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि नामांतरण करने वाले प्राधिकार (अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता एवं समाहर्ता) द्वारा समीक्षा कर आदेश पारित किया जा चुका था। विपक्षी को उक्त आदेश की असंतुष्टि की स्थिति में सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये। (v) कि निम्न न्यायालय के आदेश फलक/अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अंचल अधिकारी, बगोदर के समक्ष सभी तथ्यों को रखा नहीं गया, विशेषकर पूर्व में पारित आदेश का उल्लेख भी नहीं किया गया है।	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
6.	उक्त विवेचन के आलोक में अपीलकर्त्ता द्वारा दायर अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुये अंचल अधिकारी, बगोदर द्वारा नामांतरण वाद सं०- 838/2021-22 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित पक्षकारों को इस आदेश से अवगत करावें तथा अंचल अधिकारी बगोदर को इस आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उपलब्ध करावें। [signature] 27/2/23 LRDC. Bagodar-Sariya.	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.27 16:12:02 +05:30
Location: 192.168.1.7

Scanned with CamScanner